‘छह विधायक दे देंगे इस्तीफा’

सुराणा गांव में नेताओं के दौरे के बीच ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की चेतावनी

- साथ में दी धमकी, ''पूरे राजपूत समाज को गाली देना, विलेन बनाना गलत है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा''
- यह भी बोले, ''उस वक्त के और वर्तमान के हमारे अध्यक्ष कहां थे, जब डांगावास कांड हुआ था, डांगावास कांड के समय पानाचंद ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया''

जयपुर, (का.प्र.)। जालोर के सुराणा गांव में टीचर की कथित पिटाई से दलित स्टूडेंट की मौत के बाद राजस्थान में गरमाई हुई सियासत के बीच कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसी के साथ कांग्रेस के नेताओं में होड़ मची है कि सबसे ज्यादा दलित हितैषी कौन बने, इसलिए कांग्रेस के नेता नित नए बयान दे रहे हैं। अब इस लिस्ट में नया नाम जुड़ गया है राजेंद्र गुढा का। अपने बयान के जरिए राजेंद्र गुढ़ा ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि भले ही वह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और मंत्री बन गए हैं, लेकिन जो छह विधायक बसपा से आए हैं, उनका गुट कांग्रेस से अलग है। इसलिए उन्होंने जालौर मामले को लेकर छह विधायकों के इस्तीफे की चेतावनी दे डाली।

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने जालौर कांड के साथ ही नागौर के डांगावास कांड की याद ताजा करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर भी निशाना साधा है। इसी के साथ गुढ़ा ने जालोर मामले में न्याय नहीं मिलने पर बसपा से कांग्रेस में आए सभी 6 विधायकों के सरकार से समर्थन वापस लेने तक की चेतावनी भी दी है। गुढ़ा ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि बच्चे को जिस टीचर ने मारा, उसे चाहे फांसी पर लटका दीजिए, लेकिन इस घटना के लिए पूरे राजपूत समाज को गाली देना, विलेन बनाना गलत है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी एक आदमी ने अपराध किया तो समाज कैसे दोषी हो गया?

गुढा ने कहा कि एक व्यक्ति के अपराध में पूरे राजपूत समाज को खलनायक की तरह पेश किया जा रहा है। यह अच्छी बात नहीं है, जिसने गुनाह किया है, उसे सजा दीजिए। दलित बच्चे की मौत के मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में डे-टू-डे सुनवाई कीजिए। सजा दिलाकर मिसाल पेश कीजिए, लेकिन एक समाज को बेवजह विलेन बनाना सहन नहीं करेंगे। गुढा ने कहा कि मैं हमारे साथी विधायक लाखन मीणा के बयान से 100 फीसदी सहमत हूं। सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। दलित बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा, तो हमारे सभी 6 विधायक सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। इसके लिए चाहे हमारी विधानसभा की सदस्यता ही क्यों न चली जाए?

जालौर मामले के बहाने ही गुढ़ा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि पानाचंद मेघवाल बताएं कि डांगावास के वक्त इस्तीफा क्यों नहीं दिया? बीजेपी के नेता डांगावास के वक्त कहां थे। डांगावास के समय किसी भी एक हत्यारे को सजा मिली क्या? किसी को न्याय मिला क्या? सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा पर सवाल दागते हुए गुढा ने कहा कि हमारे उस समय के प्रदेशाध्यक्ष और आज के प्रदेशाध्यक्ष हैं, वे इस मामले में क्यों नहीं बोले? जिस वक्त डांगावास कांड हुआ। उस वक्त दलितों के साथ अस्पताल में मैं था, आज बयान देने वाले नेता वहां कहीं नजर नहीं आ रहे थे। डांगावास कांड में पांच दलितों को बेरहमी से मारा गया था, उनके लिए कोई नहीं बोला। मंत्री गोविंद मेघवाल के बयान को लेकर भी गुढा ने कहा कि आज जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं, वे डांगावास कांड के वक्त भी अगर पीड़ित दलितों को न्याय दिलाने की मांग करते तो ज्यादा अच्छा होता। हमारे मंत्री गोविंद मेघवाल ने कहा कि ठाकुरों ने पीट-पीट कर उनकी पीठ तोड़ दी। किसी अपराधी की कोई जाति नहीं होती। एक समाज को विलेन बनाने की कोशिश न की जाए। डांगावास में इनकी संवेदनाएं कहां चल गई थीं।

उन्होंने कहा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा गजटेड अफसर मेरे विधानसभा क्षेत्र में हैं। मेरे क्षेत्र में 95 फीसदी व्यक्तिगत रूप से राजेंद्र गुढ़ा के साथ हैं। पार्टी के साथ नहीं। दलितों के अधिकारों के लिए हम जान दें दें। राजस्थान की धरती पर दलित के साथ अत्याचार हो तो राजेंद्र गुढ़ा जान दे सकता है।

उल्लेखनीय है कि जिस डांगावास मामले की बात गुढा ने कही है, उस दौरान नागौर जिले के डांगावास गांव में जमीन विवाद को लेकर 5 दलितों को पीट-पीटकर मार दिया था। यह घटना 2015 में भाजपा राज के दौरान हुई थी। उस समय जमकर विवाद और राजनीति हुई थी। इसके बाद सीबीआई जांच दी गई थी।

‘लम्पी स्किन डिजीज से बचाव के लिए पशुपालकों को जागरूक करें’

पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने लम्पी स्किन डिजीज को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बुधवार को पंत कृषि भवन में बैठक ली।

जयपुर, (का.सं.)। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रदेश के गौवंशीय पशुओं में फैल रही लम्पी स्किन डिजीज को लेकर कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार, पशुपालन विभाग के शासन सचिव पीसी किशनएवं विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बुधवार को यहां पंत कृषि भवन में बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस रोग का बचाव ही उपचार है,ऐसे में जन जागरूकता अभियान के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कृषि पर्यवेक्षकों एवं सुपरवाइजर्स को भी इससे जोड़ने के निर्देश दिए।

पशुपालन मंत्री ने बताया कि गौवंशीय पशुओं में फैल रही लम्पी स्किन रोग की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि गुरूवार को कृषि एवं पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे पशु चिकित्सकों एवंकृषि पर्यवेक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये बीमारी की स्थिति एवं रोकथाम के लिए किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाएं जाएंगे।

इससे पूर्व मुख्य सचिव ऊषा शर्मा ने आयुर्वेद एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर लम्पी रोग के बचाव एव रोकथाम में कारगर आयुर्वेदिक औषधियों पर चर्चा की। शर्मा ने लम्पी स्किन रोग की समीक्षा करते हुए तत्काल गोट पॉक्स वैक्सीन खरीदने के निर्देश भी दिए।

करोना संक्रमण से इस महीने में अब तक 18 लोगों की मौत हुई राजस्थान में

बुधवार को भी जयपुर और झालावाड़ में दो संक्रमितों की मृत्यु हुई है

- राज्य में पिछले चौबीस घंटों में 502 नए संक्रमित मिले, वहीं 687 मरीज ठीक भी हुए हैं।
- अलवर में सर्वाधिक 107, जबकि जयपुर में 96 नए संक्रमित पाए गए हैं।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में करोना संक्रमण से इस महीने में अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी दो और मरीजों की मौत हुई है। इस बीच राज्य में 502 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि साढ़े छह सौ से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं।

प्रदेश में करोना संक्रमण का कहर बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में बड़ी संख्या में नए संक्रमित मिलने के साथ ही इससे मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। बुधवार को राज्य में जयपुर और झालावाड़ में करोना से दो लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक इस बीमारी से 9598 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

उधर राज्य में पिछले चौबीस घंटों में नए संक्रमितों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इस दौरान 27 जिलों में 502 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले मंगलवार को 191 रोगी पाए गए थे। इधर राज्य में आज सबसे ज्यादा 107 नए संक्रमित अलवर जिले में मिले हैं। इसके अलावा जयपुर में 96, भरतपुर में 72, उदयपुर में 34, भीलवाड़ा व जोधपुर में 28-28, दौसा में 26, चित्तौडगढ़ में 25, प्रतापगढ़ में 20, नागौर में 18, अजमेर व कोटा में 9-9, बूंदी में 5, राजसमंद में 4, पाली व सवाईमाधोपुर में 3-3, टोंक, बांसवाड़ा, जालोर व झालावाड़ में 2-2 तथा बाड़मेर, बीकानेर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और झुंझुनूं में एक-एक नया संक्रमित मिला है। राज्य में पिछले चौबीस घंटों में नए संक्रमितों से अधिक रिकवरी हुई है। इस दौरान 687 मरीज ठीक होने से एक्टिव केस घटकर 3944 रह गए हैं। राजधानी जयपुर में 190 मरीजों के ठीक होने के साथ ही एक्टिव केस 1300 रह गए हैं। जयपुर में बुधवार को 32 स्थानों पर नए संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 12 नए मरीज मानसरोवर में मिले हैं। इसके अलावा झोटवाड़ा में 7, दुर्गापुरा व सांगानेर में 6-6, दूदू में 5, अजमेर रोड, जगतपुरा, जमवारामगढ़ व मालवीय नगर में 4-4, आदर्श नगर, जवाहर नगर, टोंक फाटक व वैशाली नगर में 3-3, बस्सी, ब्रह्मपुरी, चाकसूं, गंगापोल, जौहरी बाजार, लालकोठी व रामगंज में 2-2 तथा बरकत नगर, सी-स्कीम, सिविल लाइन, गोविंद नगर, जयसिंहपुरा खोर, कोटपूतली, निर्माण नगर, प्रताप नगर, राजापार्क, शास्त्री नगर और विद्याधर नगर में 1-1 नया संक्रमित मिला है।

‘केन्द्रीय मंत्री ने झूठी, घृणा फैलाने वाली बातें कहीं’

जयपुर, (का.प्र.)। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान से चुनकर मंत्री बनने वाले शेखावत की प्रेसवार्ता में राजस्थान की जनता 13 जिलों के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु बनी ईआरसीपी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की घोषणा अथवा प्रदेश को केन्द्र से मिलने वाली योजनाओं हेतु विशेष पैकेज की घोषणा का इंतजार कर रहे थे, किन्तु इन मुद्दों की बजाए केन्द्रीय मंत्री बिना किसी तथ्य के राजस्थान सरकार पर अनर्गल व झूठे आरोप लगाते रहे।

जयपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री ने वही झूठी व घृणा फैलाने वाली बातें कही, जो आरएसएस की पाठशाला में सिखाई जाती है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री जिस प्रदेश से चुनकर केन्द्र सरकार में ऊंचे पद तक पहुंचे हैं, उसी प्रदेश के बारे में झूठ बोलकर प्रदेश को कलंकित करने तथा खराब प्रदेश बताने की चेष्टा की है जो कि निंदनीय है एवं उनके द्वारा दिया गया बयान झूठा तथा राजनीति से प्रेरित है।

गहलोत की नाक के नीचे आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही : डॉ.सतीश पूनिया

जयपुर के जमवारामगढ़ में महिला टीचर को जिंदा जलाने की घटना पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी

- ‘मुख्यमंत्री इस तरीके की घटनाओं के प्रति संवेदनशील नहीं हैं और उनको रोकने के लिए भी पूरे तरीके से नाकाम हैं’
- ‘एक दलित महिला शिक्षिका के साथ में यह समाज के लिए आंख खोलने वाली घटना है, पुलिस यदि तत्पर होती, प्रशासन यदि तत्पर होता, यदि उसकी सुनवाई होती तो यह घटना नहीं होती’

जयपुर। जयपुर जिले के जमवारामगढ़ में महिला टीचर को जिंदा जलाने और प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस शासन में यह पहली घटना नहीं है, इस तरीके की घटनाएं साल में हजारों हो रही हैं और अब तक पूरे प्रदेश में 7 लाख से अधिक मुकदमे, औसतन 18 बलात्कार और 7 हत्याएं प्रतिदिन, यह अपने आप में एक आंकड़ा इस बात को प्रस्तुत करता है, इस बात का साक्ष्य है कि कांग्रेस सरकार के कामकाज की कानून व्यवस्था की यह बानगी है।

पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री और गृहमंत्री की नाक के नीचे हुई यह घटना और सुदूर किसी आदिवासी क्षेत्र में होती है, किसी सीमावर्ती क्षेत्र में भी होती है, कभी मेवात के क्षेत्र में होती है, घटनाएं तभी होती है कि जब अपराधी बैखोफ होता है, अपराधी को यह भरोसा होता है कि मैं कुछ भी करूंगा तो मेरा बाल बांका नहीं होगा, मैं सामान्य सी परिस्थिति में धारा में दर्ज होकर मुकदमें से बाहर आ जाऊंगा। राज्य सरकार की शिथिलता, लापरवाही और कानून व्यवस्था के प्रति उसकी संवेदनहीनता, यह ऐसे मामलों को और ज्यादा प्रेरित करती है और यह घटना भी जो जमवारामगढ के रायसर गांव में घटित हुई, एक दलित महिला शिक्षिका के साथ में यह समाज के लिए आंख खोलने वाली घटना है, पुलिस यदि तत्पर होती, प्रशासन यदि तत्पर होता, यदि उसकी सुनवाई होती तो यह घटना नहीं होती। घटनाओं की लंबी फेहरिस्त है और दुर्भाग्य है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री इस तरीके की घटनाओं के प्रति न तो संवेदनशील हैं और उनको रोकने के लिए पूरे तरीके से नाकाम भी हैं। कांग्रेस सरकार के मंत्रियों और विधायकों द्वारा विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर की जा रही मनमानी को लेकर मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में डॉ. पूनिया ने कहा कि, यह सरकार ही गैर-जिम्मेदार है, इसलिए सरकार का मंत्री जिम्मेवार होगा इसकी कैसे उम्मीद कर सकते हैं, जबकि मुख्यमंत्री खुद गैर जिम्मेवार हों ऐसे में कांग्रेस सरकार की अब जो पॉलिटिक्स है वो प्रतिशोध की राजनीति है, ईर्ष्या की राजनीति है, तुष्टिकरण की राजनीति है, इसलिए कांग्रेस का कोई मंत्री निरपेक्ष होकर काम करेगा इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। दूसरा कांग्रेस के विधायकों को जिस तरीके से राज्य सरकार के मुखिया का संरक्षण मिला है।

गोवर्धन सिंह को नहीं मिली राहत

- सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने को भी न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग बताया है

जयपुर, (का.सं.)। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआर से निलंबित अधिवक्ता गोवर्धन सिंह के खिलाफ दर्ज केसों की जांच व उनमें गिरफ्तारी से जुड़े मामले में प्रार्थी को राहत नहीं दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गोवर्धन सिंह के आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने को भी न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग बताया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि प्रार्थी ने राजस्थान हाईकोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर की थी और उस याचिका में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला भी सुरक्षित रख लिया था। इसके बावजूद भी उसने न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, ऐसी याचिका में अदालत सुनवाई नहीं करना चाहती। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश गोवर्धन सिंह की याचिका को खारिज करते हुए दिए। हालांकि अदालत ने प्रार्थी को छूट दी है कि वह सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट के समक्ष ही आवेदन करे और एकलपीठ के समक्ष ही अपना पक्ष रखे।

गोवर्धन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि कि उसके खिलाफ दायर सभी एफआइआर की एक साथ जांच होनी चाहिए। वहीं उसके खिलाफ नई एफआईआर दर्ज होने पर रोक लगाई जाए और मामलों की जांच राजस्थान से बाहर किसी अन्य एजेंसी से करवाई जाए। इसके विरोध में राज्य सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि प्रार्थी ने ऐसी ही राहत के लिए हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की है।

समिति का गठन

जयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया के निर्देश पर अलवर जिले के गोविंदगढ़ में मॉब लिंचिंग की घटना की जांच के लिये एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है, यह जांच समिति घटनास्थल का 18 अगस्त को दौरा करेगी।जांच समिति में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी व प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर शामिल हैं।

नोटिस जारी

जयपुर।हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भी इन सर्विस कोटे में जीएनएम प्रशिक्षण के लिए एएनएम को चयनित नहीं करने पर स्वास्थ्य निदेशक सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश मोनिका व अन्य की अवमानना याचिका पर दिए।

नम्बर मिलाइए 9587884433

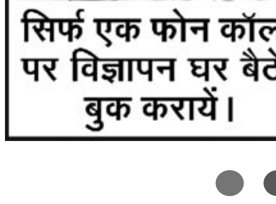

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

गति शक्ति योजना पर विशेष ध्यान देने के निर्देश

महाप्रबंधक-उत्तर पश्चिम रेलवे विजय शर्मा ने रेलवे विभागाध्यक्षों तथा चारों मण्डलों के रेल प्रबंधकों के साथ बैठक की।

जयपुर (का.सं.)। महाप्रबंधक-उत्तर पश्चिम रेलवे विजय शर्मा ने उत्तर पश्चिम रेलवे पर विभागों के विभागाध्यक्षों तथा चारों मण्डलों के मण्डल रेल प्रबंधको के साथ संरक्षा बैठक की। बैठक में सभी मण्डल रेल प्रबंधक वीडियों कॉन्फ्रेस के माध्यम से जुडे हुये थे। बैठक में महाप्रबंधक-उत्तर पश्चिम रेलवे ने रेल संचालन में संरक्षित संचालन पर विशेष ध्यान देने के साथ ही गति शक्ति योजना में महत्वपूर्ण कार्यों को लक्षित समय में पूरा करने के दिशा-निर्देश प्रदान किये।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार सर्वप्रथम बैठक में महाप्रबंधक महोदय विजय शर्मा ने उत्तर पश्चिम रेलवे के सभी मण्डलों पर यात्री सुविधाओं में उच्च कोटि के कार्य निष्पादन हेतु दिशा निर्देश प्रदान किए। महाप्रबंधक ने उत्तर पश्चिम रेलवे पर संरक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए कहा। महाप्रबंधक महोदय ने कहा कि विगत समय में हुई दुघर्टनाओं ने हमें और अधिक सतर्क रह कर कार्य करने के प्रति जागरूक किया है तथा सरक्षा के लिये सभी स्तर के निरीक्षणों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। महाप्रबन्धक महोदय ने ट्रेन लोकोपायलेट के कार्य एवं ड्यूटी घंटो की सतत् निगरानी के साथ ही विद्युतीकरण एवं वन्दे भारत ट्रेन के लिये उपयुक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही रेल सेवाओं में चैन पुलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा। वाणिज्य विभाग द्वारा आय के अन्य स्त्रोतो में ई-ऑक्शन प्रणाली को शत् प्रतिशत लागू करने पर बल दिया।

खोया-पाया

जेडीए की योजना तिरूपति विहार के भूखण्ड संख्या 57, 58, 59 के मूल दस्तावेज जेडीए से जारी जेडीए पट्टा, स्टाम्प पेपर, साइट प्लान, रसीद आदि खो गए है सूचित करें :- राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री गोपाल लाल मो- 9829006050

जेडीए कि योजना न्याय वाटिका के भूखण्ड संख्या बी-17, के मूल दस्तावेज जेडीए से जारी जेडीए पट्टा, स्टाम्प पेपर, साइट प्लान, रसीद आदि खो गए है सूचित करें राजेन्द्र कुमार चचन पुत्र श्री मुरारी लाल मो-7014460701

Declaration regarding name mismatch

I Rajesh Kumar Soni son of Late Shri Satyanarain Soni Resident of 32, Nawal Vihar Colony, Sirsi Road, Panchyawala Jaipur Rajasthan Do hereby declare that in my some educational documents and various other identity documents my name has been mentioned as Rajesh Soni and in some documents my name name has been mentioned as Rajesh Kumar Soni .I hereby declare that both Rajesh Soni and Rajesh Kumar Soni are the my names.

Thanking You

(Manish Prakash Mathur)
Advocate

In The Court of I Civil Judge Class-II Civil Court Nowgong, District Chhatarpur
Presiding Officer: शरद जायसवाल

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु) (RCSA/0000016/2017)
रावर्ड फ्रान्सिस............वादी
V/s सी.ई. फ्रान्सिस..............प्रतिवादी
Process ID_/2022 पेशी दिनांक :- 26/08/2022
रावर्ड फ्रान्सिस पता विरूद्ध
(1)श्रीमती निरमिला पिता रोली डिकोस्ता पता- निवासी महात्मा गांधी नगर अजमेर रोड जयपुर राजस्थान (2)श्रीमती हैलीन पुत्री पी ई फ्रान्सिस पता- निवासी प्रताप नगर जयपुर राजस्थान (3)श्रीमतीटीना पुत्री रोली डिकोस्ता पता- निवासी महात्मा गांधी नगर अजमेर रोड जयपुर राजस्थान (4)श्रीमती लीरू पिता रोली डिकोस्ता पता- निवासी महात्मा गांधी नगर अजमेर रोड जयपुर राजस्थान (5)श्रीमती ज्योसवीन पति एलक जौडर पता- निवासी प्रताप नगर जयपुर राजस्थान, यह कि प्रार्थी रावर्ड फ्रान्सिस ने आपके विरूद्ध दावा बावत स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात /हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करायें। यह आज तारीख 10 August 2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

मुहर

शरद जायसवाल
व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
नौगांव जिला छतरपुर (म.प्र.)

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत-तृतीय राजस्थान आवासन मण्डल
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर, दूरभाष संख्या :- 0141-4901853
आम जाहिर सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक 11677 दिनांक 10.08.1979 जारी कर आवास संख्या- 5-ज-36, नाहरी का नाका, जयपुर क्षेत्रफल 60.00 वर्ग मीटर का हस्तान्तरण श्रीमती देवी बाई पत्नी स्व. श्री दयाल दास के पक्ष में किया गया था। तत्पश्चात उनके पक्ष में आवास का आवंटन पत्र क्रमांक 11858 दिनांक 24.08.1979 जारी किया गया था। उनके द्वारा आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 13.09.1979 को संभलवा दिया गया था। श्रीमती देवी बाई की मृत्यु दिनांक 28.01.2018 को हो जाने के कारण श्री किशोर कुमार छत्तानी एवं श्री दिनेश कुमार छत्तानी पुत्रान् स्व. श्री दयाल दास के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, वसीयतनामा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर, उक्त आवास का हस्तान्तरण अपने नाम से करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता- श्री किशोर कुमार छत्तानी एवं श्री दिनेश कुमार छत्तानी पुत्रान् स्व. श्री दयाल दास के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। सम्पदा प्रबंधक- वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

कार्यालय नगर पालिका लालसोट, जिला-दौसा

क्रमांक-न.पा.ला./2022/2691 दिनांक-16.08.2022

आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका लालसोट द्वारा कोयुन लालसोट रोड पर आवासीय पट्टा क्रमांक 361 दिनांक 28.02.2002, 136 वर्गगज का श्री रफीक मोहम्मद पुत्र श्री नजर मोहम्मद द्वारा उक्त भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु नगरपालिका में आवेदन प्रस्तुत किया है। इस संबंध में किसी आमजन/व्यक्ति/संस्था/को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो अंदर म्याद 15 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा बाद मयाद आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

(सीमा चौधरी)
अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, लालसोट

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रम-1, जयपुर महानगर (प्रथम)

वाद बाबत दीवानी
वाद सं. 20/सन् 2019
राज राजेश्वर बनाम श्रीमती प्रकाश पारीक वगैरहा
बनाम :
1. श्रीमती चन्द्रकला पारीक पुत्री स्व. श्री जमनालाल पत्नी स्व. श्री मोहन लाल पारीक, उम्र 52 वर्ष, निवासी-प्लॉट नं. 238, पेन्टर कॉलोनी, राजपूतों की छतरी, शास्त्री नगर, जयपुर (राज.)-302016
2. श्रीमती मालती पारीक पत्नी स्व. श्री रामचन्द्र पारीक, उम्र 62 वर्ष, निवासी-प्लाट नं. 306, कलाकार कॉलोनी, दूध मण्डी, सुभाष नगर, शास्त्री नगर, झोटवाड़ा रोड, जयपुर (राज.)-302016
3. कनू पारीक पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र पारीक उम्र 34 वर्ष निवासी-प्लाट नं. 306, कलाकार कॉलोनी, दूध मण्डी, सुभाष नगर, शास्त्री नगर, झोटवाड़ा रोड, जयपुर (राज.)-302016
4. श्रीमती आभा पारीक पुत्री स्व. श्री रामचन्द्र पारीक पत्नी श्री पंकज पारीक उम्र -वर्ष निवासी-प्लाट नं. 309, कलाकार कॉलोनी, दूध मण्डी, सुभाष नगर, शास्त्री नगर, झोटवाड़ा रोड, जयपुर (राज.)-302016

वादी ने आपके विरुद्ध दाव डिक्री के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 15 माह 09 सन् 2022 को दिन में 10.30 बजे. दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद तारीख 17 माह 08 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर अदालत

आज्ञा से
न्यायाधीश
जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-1
जयपुर महानगर (प्रथम)

दी राजस्थान अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
प्रधान कार्यालय जी-20, कृष्णा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
टेलीफोन नं. 0141-2360373, 2372384

दिनांकः 18.08.2022

वार्षिक आम सभा की सूचना

बैंक के समस्त योग्यता धारक सदस्यों को सूचित किया जाता है कि बैंक की 33वीं वार्षिक आम सभा की बैठक शनिवार दिनांक 27 अगस्त 2022 को प्रातः 11.00 बजे सभागार, चतुर्थ तल, नेहरु सहकार भवन, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर पर आहूत की गई है। इसमें भाग लेने हेतु समस्त योग्यता धारक सदस्य कोविड-19 के सभी सुरक्षा मानकों के निर्देशों की पालना के निवेदन के साथ सादर आमंत्रित है। उक्त बैठक हेतु निर्धारित कोरम पूर्ण नहीं होने की अवस्था में स्थगित आम सभा की बैठक दिनांक 27 अगस्त 2022 को ही दोपहर 12.00 बजे उसी स्थान पर आयोजित की जायेगी।

प्रबंध निदेशक

कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर-15)
क्रमांक- एफ-13 ( ) उपा.आयो.।।-/ननिज/2022/052
दिनांक- 16.08.2022

सार्वजनिक सूचना

मूल भूखण्ड सं. 105, लक्ष्मी नगर, कालवाड रोड (भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड) जयपुर का जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा श्री रामपाल पुत्र श्री नाथू के नाम से क्षेत्रफल 137.25 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया है। प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र (अण्डरटेकिंग), पंजीकृत पट्टा मय साइट प्लान की फोटोप्रति, मूल आवंटी का मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, रजि. हकत्याग पत्र की फोटो प्रति एवं अन्य दस्तावेजों की छायाप्रति के आधार पर उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण किया जाना है। नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा श्री कैलाश चन्द पुत्र स्व. श्री रामपाल के पक्ष में उक्त भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 137.25 वर्गगज नाम हस्तान्तरण किया जाना है। इस नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, आयोजना द्वितीय) में प्रस्तुत करें अन्यथा निर्धारित समयावधि की समाप्ति के बाद नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

उपायुक्त (आयोजना द्वितीय)
नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

सूचना दि. 17.05.2022

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवासीय प्लॉट नं. सी-88, हाउसिंग कॉलोनी, रोड नं.15 विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर है। उक्त प्लॉट रीको द्वारा लीज एग्रीमेंट रिकार्ड डिस्पोजल ऑफ लैण्ड रूल्स 1979 के अनुसार महावीर बुनकर S/O प्रभाती लाल बुनकर को आवंटित किया था। महावीर बुनकर ने उक्त प्रॉपर्टी को श्री पवन कुमार अग्रवाल पुत्र श्री प्रभु दयाल अग्रवाल निवासी ए-88, उद्योग विहार रोड नं. 17, वी. के. आई. एरिया को दिनांक 10.04.2008 को रजिस्ट्री द्वारा बेच दिया था। तत्पश्चात पवन कुमार अग्रवाल ने श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री मांगीलाल निवासी 186, नेताजी सुभाष मार्ग, पूर्वी बाबरपुर शाहदरा दिल्ली को रजिस्ट्री द्वारा दिनांक 17.05.2011 को बेच दिया था। उक्त प्रॉपर्टी का मुख्त्यारनामा महावीर बुनकर और पवन कुमार अग्रवाल के बीच के कागजात बुक नम्बर 40 जिल्द नम्बर 38 पेज नम्बर 200 805 3000 136 बढ़ारना, हरमाड़ा में कहीं गुम हो गये थे। जिनकी एफआईआर एलआर नम्बर 152 6467 /2022 दिनांक 03.08.2022 को करवा दी गई। उक्त प्रॉपर्टी पर लोन हेतु एसबीआई में आवेदक रमेश चन्द सैनी S/O पांचु राम सैनी द्वारा लोन हेतु आवेदन किया गया है। उक्त प्रॉपर्टी के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, संस्था को कोई आपत्ति होतो मय साक्ष्यों के 07 दिवस में विमला देवी धर्मपत्नी मांगीलाल से सम्पर्क कर सकते हैं। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर लोन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें। विमला देवी धर्मपत्नी मांगीलाल सी-88, रीको हाउसिंग कॉलोनी, बढ़ारना, हरमाड़ा, जयपुर

सम्पर्क SBI RACPC-1
Kailash Tower, Tonk Road, Jaipur

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम,वर्णन तथा निवास स्थान)

मुकदमा नम्बर 45/2022

चूंकि श्री महेन्द्र प्रकाश ने प्रन्यास आचार्य श्री सिद्धी दात्री आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट गुवारडी जयसिंहपुरा चौमू जिला जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत श्री सिद्धी दात्री आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट गुवारडी जयसिंह पुरा, चौमू जिला जयपुर ने पूर्व न्यास समिति को भंग कर प्रन्यास के विकास के लिये नवीन न्यास समिति का गठन किया है। महेन्द्र प्रकाश को अध्यक्ष, श्री जय कुमार सैनी को उपाध्यक्ष, श्री रतनलाल शर्मा को सचिव, श्री नारू राम मीणा प्रन्यासी श्री मदन लाल माली प्रन्यासी, श्री सरदार मल यादव प्रन्यासी तथा श्री राम निवास सैनी प्रन्यासी को नवीन प्रन्यासी मनोनीत कर उनके नाम तथा विधान में किये गये परिवर्तनों को दर्ज अभिलेख कराने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन पत्र दिया है। अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, मैं हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 16.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइंदा तारीख पेशी 22.09.2022

रतन लाल योगी
सहायक आयुक्त (प्रथम), देवस्थान विभाग, जयपुर

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India | भारतीय स्टेट बैंक शाखा-बस्सी साउथ, पता : बस स्टेण्ड, तूंगा रोड़ बस्सी | **स्वर्ण आभूषण नीलामी सूचना**

भारतीय स्टेट बैंक ने नीचे उल्लेखित उधारकर्ता को स्वर्ण आभूषण गिरवी रखने पर स्वर्ण ऋण प्रदान किया था। उसे ब्याज सहित राशि के पुर्नभुगतान की मांग करते हुए नोटिस जारी किया गया है। चूँकि वह संबंधित खाते में बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहा है। हम सार्वजनिक नीलामी में सोने के आभूषणों की बिक्री से राशि वसूल करने के लिए बाध्य है और यदि नीलामी में आवश्यक राशि नहीं मिलती है तो बैंक निजी संपतियो /अनुबंधों के साथ आगे बढ़ेगा। बैंक बिना कोई कारण बताए नीलामी की तिथि और स्थान को बदलने धविस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

BRCD	SDF BRNM	ACCOUNTID	NAME	OUTS	NET WEIGHT
31039	BASSI SOUTH	35612433736	MUKESH KUMAR SHARMA	189157/-	47.00 grm.

नीलामी का आयोजन भारतीय स्टेट बैंक बस्सी साउथ संबंधित शाखा में दिनांक 22/8/2022 सोमवार को प्रातः 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक इच्छुक पक्ष उपरोक्त पते पर संबंधित शाखा में शाखा प्रबंधक से संपर्क करें। प्रतिभागियों को नीलामी की तिथि पर पैन कार्ड की प्रति, पासपोर्ट साइज फोटो, वैध पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण के साथ नीलामी में भाग लेना चाहिए।

दिनांक : 17/8/2022 स्थान : बस्सी प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक

कार्यालय नगर पालिका मण्डल श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक- नपाश्रीमा/2021-22/3293-94 दिनांक-17.08.2022

आपत्ति आमंत्रण-सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर में निम्न तालिका अनुसार पट्टा नामान्तरण की पत्रावली पर आपत्ति आमंत्रित की जाती है-

क्र.सं.	नाम पत्रावली	क्षेत्रफल	पत्रावली का प्रकार
1	श्री सुभाष पालीवाल पुत्र श्री प्रेमचन्द पालीवाल निवासीवार्ड नं. 27 कस्बा श्रीमाधोपुर	356.00 वर्गगज	आवासीय पट्टा नामान्तरण

जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो 07 दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति मय दस्तावेज स्वयं की आईडी जिस पर स्वयं के मोबाईल नम्बर अंकित हो व्यक्तिगत उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद मियाद विचार नहीं किया जावेगा।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका श्रीमाधोपुर